

2446

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002. the 1-7-14

Sub :- Diversion of 1.4595 hectares of forest land in favour of Ex-Engineer, HPPWD, Jubbal Division for the construction of Ghasivillage - Dhanrotti Road (Km. 0/00 to 2/200), within the jurisdiction of Theog Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB239/2013-CHA/ 184 दिनांक 09.06.14 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.4595 hectares वन भूमि को Ex-En, HPPWD, Jubbal Division, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।

- 1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 2 कुल 06 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात् 2.9190 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- 4 सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन. पी. वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलवा निस्तारण स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया जाए।
- 6 मलवे का प्रयोग स्थानीय रूप पुख्ता दीवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ ढलानों के सुधार के लिए किया जाए। इसे पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जाएगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।
- 7 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
- 9 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
- 11 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
- 12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 13 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य सरकार के वन निगम द्वारा किया जाएगा। एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

SIPCA

MPFEE(FCA)

MPFEE

1/7

प्रमुख अधिकारी

पत्र सं. 987

दिनांक 3/7/14

Contd...2

- 14 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 15 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 1-7-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Deputy Commissioner, Shimla, Himachal Pradesh.
5. CF, Shimla /DFO, Theog Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
6. Ex-Engineer, HPPWD, Jubbal Division, Distt. Shimla.
7. Guard File.

(Prakasha Nand)

Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

0177-2628481,9418455573